

न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण) कम संख्या-03
जयपुर महानगर द्वितीय।
प्रकरण संख्या-4238/2021
गणेश कैपफिन बनाम अब्दुल हमीद

6-10-25

06.10.2025

परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त अब्दुल हमीद पुत्र श्री अजीव दीवान के विरुद्ध जमानती वारण्ट जारी किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध निरन्तर लम्बे समय से सम्मन, जमानती वारण्ट जारी किये जाकर उसे तलब किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु तलबी नहीं हो पा रही है।

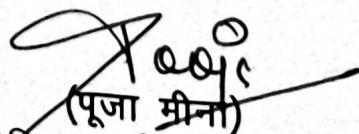
अभियुक्त के विरुद्ध जारी जमानती वारण्ट बाद/अदम तामील नहीं लौटे हैं।

पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह प्रकट होता है कि उक्त अभियुक्त अपनी तामील के भय से उसके विरुद्ध जारी किये गये जमानती वारण्ट की तामील नहीं होने दे रहा है। प्रकरण पुराना है।

बाद गौर यह प्रतीत होता है कि उक्त अभियुक्त अपनी तामील के भय से रूहपोश हो गया है। जिसके निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उक्त अभियुक्त को मफरूर घोषित किया जाता है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध स्थाई जमानती वारण्ट जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मुलजिम के विरुद्ध अंतर्गत धारा 82-83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही पृथक से नियमानुसार अमल में लाई जावे। प्रकरण वर्ष 2021 से लंबित है, जो सर्वाधिक पुराने प्रकरणों में शुमार है। अभियुक्त प्रकरण में एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ है। उक्त अभियुक्त का स्थायी जमानती वारण्ट तादादी 5,000/-रुपये जारी कर संबंधित पुलिस थाना को भिजवाकर आदेश दिया जाता है कि थाने में रखे जाने वाले मफरूर अपराधियों के रजिस्टर में उक्त अभियुक्त का नाम दर्ज किया जाकर सूचना अविलम्ब इस न्यायालय को भिजवाई जावे। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर नियत है।

पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि उक्त अभियुक्त को मफरूर घोषित किया गया है। अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

पत्रावली अभियुक्त की मफरूरी में फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


(पूजा मीना)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट प्रकरण) कम-3,
जयपुर महानगर द्वितीय